न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00120/2020/223

1. श्रीमती नेराज पुत्री सुखराम पत्नि नन्दलाल, निवासी ग्राम सिरोंज, तह0 अरांई, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती मन्ना देवी पुत्री गोपी, निवासी ग्राम जुगलीपुरा, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती नन्दू पत्नि माधू, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंरोज, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।
4. सुखराम पुत्र हरदेव,जाति जाट, निवासी ग्राम सिंरोज, तह0 अंराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री गोपी पत्नि भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम चुरली, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री गोपी पत्नि महराम, जाति जाट, नि0 ग्राम चुरली, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. मु0 संज्या देवी पत्नि रोडू,
4. बन्नालाल पुत्र रोडू,
5. पूसा पुत्र गंगाराम,
6. रिद्धकरण पुत्र औंकार,
7. हरकरण पुत्र औंकार,
8. रतना पुत्र औंकार,
9. गुमान पुत्र औंकार,
10. पांचू पुत्र औंकार,
11. मिश्री पुत्र औंकार,
12. शिवराज पुत्र औंकार,
13. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण,
14. रामधन पुत्र लक्ष्मण,
15. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण,
16. राधामोहन पुत्र लक्ष्मण,
17. मु0 बिदामी पत्नि लक्ष्मण,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अंराई, जिला अजमेर ।
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।
19. उप पंजीयक, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 4.10.2019 अंतर्गत वाद संख्या 75/2008.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धनराज शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 17 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 18 व 19.

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सिंरोज तहसील अंराई, जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 521 वर्तमान खसरा नंबर 1007 रकबा 0.6957 है0, खसरा नंबर 154 रकबा 1.4481 है0, खसरा नंबर 192 रकबा 0.0566 है0, खसरा नंबर 229 रकबा 1.0113 है0, खसरा नंबर 288 रकबा 0.2912 है0,खसरा नंबर 661 रकबा 1.4158 हे0, खसरा नंबर 714 रकबा 0.5178 है0, खसरा नंबर 930 रकबा 0.1942 है0, खसरा नंबर 933 रकबा 0.6553 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.2860 है0 भूमि व वर्तमान खाता संख्या 445 के वर्तमान खसरा नंबर 153 रकबा 0.0324 है0, खसरा नंबर 225 रकबा 4.9754 है0, खसरा नंबर 226 रकबा 0.5420 है0, खसरा नंबर 232 रकबा 0.2912 है0, खसरा नंबर 233 रकबा 0.0324 है0, खसरा नंबर 235 रकबा 0.1375 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.0109 है0 भूमि, खाता संख्या 233 के वर्तमान खसरा नंबर 290 रकबा 0.0243 है0 एवं खाता संख्या 234 के वर्तमान खसरा नंबर 138 रकबा 0.6553 है0, खसरा नंबर 292 रकबा 0.0405 है0, खसरा नंबर 8 रकबा 4.2311 है0 भूमि एवं खाता संख्या 150 के वर्तमान खसरा नंबर 942 रकबा 0.0324 है0 है । वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है । प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन है । वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि ग्राम सिरोंज तहसील अंराई में स्थित है । वादीगण ने वाद में दर्शाये अनुसार वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन सभी हिस्सेदारों में विभाजन करने एवं वादीगण द्वारा उक्त भूमि को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 को चुनौती न्यायालय हाजा के समक्ष की जा रही है परन्तु अधी0न्याया0 में अपीलांट संख्या 1 को पक्षकार कायम नहीं किया गया है । इस कारण अपील प्रस्तुत करने हेतु पक्षकार कायम होना आवश्यक है । इस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अनुमति चाहने बाबत् प्रस्तुत किया है । अपीलांट संख्या 1 विवादित आराजी का खातेदार है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा जो डिक्री प्राप्त की गई है उस डिक्री से अपीलांट संख्या 1 के हित अधिकार प्रभावित होते है । अपीलांट विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है जिन्हे सुना जाना आवश्यक है, किन्तु वादीगण ने वाद में पक्षकार कायम नहीं किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलांट संख्या 1 को वादपत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया तथा अपीलांट संख्या 2, 3, 4 की तरफ से नो–इंस्ट्रेक्शन करने के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपीलांट संख्या 2, 3 व 4 को विधिक नोटिस नहीं दिया गया एवं अधी0न्याया0 द्वारा भी कोई सम्मन नोटिस जारी नही किये गये जबकि विधिक रूप से आवश्यक था कि अपीलांट संख्या 1 को अपनी माता मनभर पत्नि सुखराम की विरासत नामांतकरण दिनांक 20.7.2020 को खुलवाने के पश्चात् दिनांक 22.7.2020 को जमाबंदियों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु संपर्क किया तब हल्का पटवारी से उपरोक्त आदेश व डिक्री दिनांक 4.10.2019 की जानकारी होने के उपरांत अपीलांटस द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.7.2020 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 23.7.2020 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है । वादपत्र के उनवान में प्रतिवादी संख्या 3 माधू पुत्र हरदेव, जाति जाट की मृत्यु दिनांक 2.2.2019 को हो चुकी है जबकि विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया है एवं ना ही नाम तर्क किया गया है । प्रतिवादी संख्या 7 श्योदान पुत्र घीसा जो करीबन 9–10 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया एवं इसके विधिक वारिसान का विरासत नामांतकरण अधिकार अभिलेख में खुल चुका है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 16 पानी पत्नि औंकार जो दिनांक 10.6.2007 को दावा पेश करने से पूर्व ही मर चुकी है जिसे वाद में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर डिक्री कराने से वाद निरस्तनीय है । मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया गया कोई भी आदेश व डिक्री शून्य है । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 21 को वाद में पक्षकार कायम किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 21 नाम का व्यक्ति गांव में निवास नहीं करता है तथा उसका विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है जिससे पक्षकार संयोजित किया गया है जबकि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को पूर्ण संज्ञान है चूंकि पारिवारिक सदस्य व ग्राम के व्यक्ति है । इसके बावजूद वादीगण द्वारा गलत तथ्य अंकित कर, गलत व्यक्ति का नाम एवं मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 नेराज पत्नि नंदलाल को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि अपीलांट संख्या 1 भी उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है जबकि वादीगण द्वारा जिस हिस्से पर अनुतोष चाहा गया है उसी हिस्से की आराजी की खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 942 के सहखातेदार गलकू, जमना, लाडा, श्रवणी पुत्रियां औंकार एवं सहखातेदार नंदलाल, कानाराम, हरिराम पुत्रियां श्योदान व भंवरी देवी पत्नि श्योदान जो प्रतिवादी संख्या 7 श्योदान पुत्र घीसा के फौत होने पर भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है जिसका अधिकार अभिलेख में विरासत नामांतकरण खुल चुका है एवं उपरोक्त आराजियात में समस्त सहखातेदारों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अरांई के रहन दर्ज परन्तु वादीगण द्वारा बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे भी पक्षकारों के असंयोजन एवं मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद पेश कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई है जो विधि के तहत

निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा विधि अनुसार नोटिस तामील नहीं कराई गइ है । अधी0न्याया0 ने मृत व्यक्तियों की तामील किस प्रकार कराई है जबकि उनकी मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी । अपीलांट संख्या 3 वाद में प्रतिवादी संख्या 24 है एवं प्रतिवादी संख्या 25 मनभर जो फौत हो चुकी है जिसे वाद में आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित ही किया गया है । दिनाक 19.10.2010 को अधिवक्ता श्री ध्रुवसिंह चौधरी द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई थी एवं दिनांक 15.11.2010 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 14.5. 2012 को अधिवक्ता श्री ध्रुवसिंह चौधरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 की ओर से नो–इंस्ट्रेक्शन किया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर एक बार किसी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार के लिए नो–इंस्ट्रेक्शन कर दिया जाता है तो उस पक्षकार को पुनः नोटिस प्रेषित कर तामील करवाना आवश्यक है। परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ना तो उपरोक्त पक्षकार की तामील कराई गई एवं न ही इन लोगों की आदेशिका में किसी प्रकार से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अधी0न्याया0 ने विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । वादीगण द्वारा राज्य सरकार जरिये तहसीलदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार का 80 जा0दी0 का नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया न ही 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत पेश किया गया । इसके अभाव में भी वादीगण का वाद पोषणीय नहीं योग्य नहीं था । अपीलांट संख्या 3 नंदू देवी एवं मनभर देवी जो फौत हो चुकी है के द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा करके विक्रय पत्र लादी देवी द्वारा निष्पादित किया गया है इसलिये जब तक रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सिविल न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को चुनौती नहीं देते है तब तक अधी0न्याया0 में उद्घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पैतृक सम्पति के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधिकार अभिलेख में लादी द्वारा अपीलांट संख्या 3 नंदूदेवी व मनभर देवी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 1.9.2008 को निष्पादित कर दिया गया था । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजियात पुश्तैनी होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाये गये इसके अभाव में विवादित आराजियात को पुश्तैनी नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार कायम कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश दिये जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1047, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 772, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 189, डी0एन0जे0 2008 (1) पेज 344, डी0एन0जे0 2017 (1) सुप्रीम कोर्ट, पेज 145, सी0जे0 (सिविल) 2019 (3) पेज 1839, सी0जे0 (सिविल) 2019 (2) पेज 631, डी0एन0जे0 2014 (2) पेज 614, आर0बी0जे0 1997 पेज 182, आर0बी0जे0 2010 पेज 407, डी0एन0जे0 2014 (3) पेज 1136, आर0बी0जे0 2017 पेज 377, डी0एन0जे0 2010 (3) पेज 1139, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 879, आर0बी0जे0 2012 पेज 110, डी0एन0जे0 2013 (4) पेज 1472, डी0एन0जे0 2014 (2) पेज 614 एवं डी0एन0जे0 2008 (1) पेज 344, एस0ए0आर0 2010 (सिविल) पेज 202, डी0एन0जे0 2016 (2) पेज 927,

आर0आर0डी0 1987 पेज 90 एवं 2010 एस0ए0आर0 (सिविल) पेज 202 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 17 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमियां ग्राम सिरोंज में स्थित है जिसके खसरा नंबर 290 रकबा 3 बिस्वा गे0मु0 चाह में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । गोपी के फौत होने पर राजस्व विभाग ने गोपी की पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इंद्राज गलती से कर दिया उक्त 1/3 हिस्से में वादी नंबर 1 का 1/4 हिस्सा वादी नंबर 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा होना चाहिये था । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मु0 लादी के 1/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है । प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 व 7 का 1/3 हिस्सा है । इसी प्रकार खसरा नंबर 8 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 138 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 292 रकबा 5 बिस्वा गै0 मु0 बाड़ा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/9 हिस्सा में से वादीगण को 1/4, 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार खसरा नंबर 154 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 192 रकबा 7 बिस्वा गे0मु0बाड़ा, खसरा नंबर229 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 288 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 930 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 933रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1007 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 661 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 714 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1/3 हिस्सा में गोपी की मृत्यु उपरांत गोपी के वारिस वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम उक्त भूमि दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज नहीं की गई थी । वादीगण गोपी की पुत्रियां होने से उसकी आराजियात में हक व अधिकार रखती है तथा अपने हिस्से अनुसार विवादित आरायिजात का विभाजन करने की अधिकारी होने से अधी0न्याया0 ने वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. प्रार्थीया/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि प्रार्थिया/अपीलांट संख्या 1 विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से उसके हित व अधिकार प्रभावित हुए है। इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 नेराज खातेदार सुखराम की पुत्री है तथा जमाबंदी अनुसार सुखराम का खाता संख्या नया 338 पुराना 332 में मु0 लादी बेवा गोपी व माधु सुखराम पि0 हरदेव 1/2 हिस्सा, खाता संख्या नया 337 पुराना 331 में मु0 लादी बेवा गोपी व माधू, सुखराम पि0 हरदेव का 2/3 हिस्सा एवं खाता संख्या नया 329 पुराना 322 में लादी बेवा गोपी, माधू सुखराम पि0 हरदेव का 2/3 हिस्सा, खाता संख्या नया 330 पुराना 323 में लादी बेवा गोपी, माधू, सुखराम पि0 हरदेव का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या नया 336 पुराना 330 में मु0 लादी, गोपी, माधू, सुखराम पि0 हरदेव0 के नाम दर्ज है । उक्त जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1

सुखराम की पुत्री होकर उसका विवादित आराजियात में हक व अधिकार है किन्तु वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत करते समय अपीलांट संख्या 1 को वाद में पक्षकार सुयोजित नहीं किया गया है जिससे उसके हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । चूंकि अपीलांट संख्या 1 अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थी इसलिये हम अपीलांट संख्या 1 को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपीलांट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है क्योंकि अपीलांट संख्या 1 विवादित आराजियात की खातेदार है जिसे वाद में पक्षकार संयोजित नही किया गया था जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्यसमय अपीलांट संख्या 1 को होना नहीं माना जा सकता है। हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 3 माधू पुत्र हरदेव जाति जाट की मृत्यु दिनाक 2.2.2019 को हो चुकी थी जिसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया एवं न ही नाम तर्क किया गया है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 श्योदान पुत्र घीसा करीबन 9–10 पूर्व फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 16 पानी पत्नि औंकार का दिनांक 10.6.2007 को दावा पेश होने से पूर्व ही देहांत हो चुका है । इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी संख्या 16 मृतक पानी पत्नि घीसा के विरूद्ध वाद पेश किया है । इसी प्रकार अपीलांट संख्या 1 नेराज पत्नि नंदलाल को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया जबकि अपीलांट संख्या 1 विवादित आराजियात में हितबद्ध पक्षकार है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 25 मनभर की मृत्यु होने उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुवसिंह चौधरी ने अन्डरटेकिंग दी थी तथा बाद में वकालतनामा पेश किया किन्तु अधिवक्ता ने बाद में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 की ओर से नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर कर दिया जिसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 को अधिवक्ता एवं अधी0न्याया0 द्वारा नहीं दी गई एवं न ही इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है ।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 16 पानी पत्नि औंकार की मृत्यु दिनाक 10.6.2007 को हो चुकी है जिसकी पुष्टि अपील पत्रावली पर उपलब्ध जन्म, मृत्यु रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत सिंरोज तहसील किशनगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.6.2007 से होती है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 माधू की मृत्यु दिनांक 2.2.2019 को अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 से पूर्व वाद के विचाराधीन रहते होना अंकित किया है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 माधू के विधिक वारिसान को पत्रावली पर लिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । प्रतिवादी संख्या 7 श्योदान की भी मृत्यु वाद के विचाराधीन रहते हुई है किन्तु उसके विधिक वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित किये जाने से अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है । डी0एन0जे0 2011 पेज 772 में यह

सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि '' Judgment passed against a dead person is without jurisdiction & nullity. '' पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 24 व 25 की ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुवसिंह ने दिनांक 15.11.2010 को वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात् दिनांक 14.5.2012 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 की ओर से वकील श्री ध्रुवसिंह ने नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया । अधिवक्ता एवं अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 को नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने के संबंध में कोई सूचना दिये जाने के संबंध में आदेशिका में उल्लेख नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर एक बार किसी अधिवक्ता द्वारा किसी पक्षकार के लिए नो–इंस्ट्रेक्शन कर दिया जाता है तो उस पक्षकार को पुनः नोटिस प्रेषित कर तामील करवाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 24 व 25 को पुनः नोटिस तामील किये जाने संबंधी को साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 992 की सहखातेदार गलकू, जमना, लाडा, श्रवणी पुत्रियां औंकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अन्य सहखातेदार नन्दू, कानाराम, हरिराम पुत्र श्योदान व भंवरी पत्नि श्योदान को भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विभाजन के वाद में सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती लादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 1.9.2008 को भूमि नन्दू पत्नि माधू एवं मनभर पत्नि सुखराम को विक्रय कर दी थी । मनभर की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण अपीलांट संख्या 1 नेराज के नाम तस्दीक की गई थी जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 नेराज भी विवादित आराजियात की सह खातेदार काश्तकार है जिसे भी वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 21 बसरबरादी पुत्र बिदामी का वादग्रस्त आराजियात से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद बसरबरादी को प्रतिवादी संख्या 21 नियुक्त किया गया है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किये जाने से तथा आवश्यक पक्षकारों को वाद पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

13. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

14. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 निरस्त किया जाता है । पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजियात के समस्त सहखातेदारों तथा मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसान एवं अपीलांट संख्या 1 को वाद में पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर